रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2011/माघ 20, 1932
No. 261] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2011/MAGHA 20, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2011

का.आ. 303(अ).—पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 714(अ), तारीख 26 मार्च, 2010 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 31 मार्च, 2010 को प्रकाशित किया गया था, जिससे ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 मार्च, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 4 में,—

(क) ''समिति का गठन'' शब्दों के पश्चात् ''तीन वर्ष की अवधि के लिए'' शब्द, अंत:स्थापित किए जाएंगे,

(ख) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(छ) जनता का एक प्रतिनिधि जो मानवतावादी हो या क्षेत्र का ऐसा कोई ख्याति प्राप्ति व्यक्ति जिसे पशु कल्याण का अनुभव हो''।

3. उक्त नियमों के नियम 5 में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ज) समिति के क्रियाकलापों को लोक सूचना में उद्घोषणा और विज्ञापनों के द्वारा लाएगी''।

4. उक्त नियमों के नियम 6 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(4) उक्त परिक्षेत्र की मानीटरी समिति पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का निर्धारण करने के लिए कम से कम प्रत्येक मास में बैठक करेगी''।

5. उक्त नियमों के नियम 7 के, उप-नियम (6) में, ''अन्य संस्थाओं'' शब्दों के स्थान पर, ''अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं'' शब्द अंत:स्थापित किये जाएंगे ।

[फा. सं. 27-2/2009-एडब्ल्यूडी]

अंजनी कुमार, निदेशक (पशु कल्याण)

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. का.आ. 1256(अ) तारीख 24 दिसम्बर, 2001, द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।